न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
37 / 2024	30.01.2024	26.02.2024

उनवान

1. गोविन्दसिंह आत्मज श्री नारायणसिंह चुण्डावत, जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. दलेल सिंह आत्मज श्री सबल सिंह राठौड, जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी पडासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. प्रकाश कंवर पत्नि श्री मनोहर सिंह हाड़ा, आयु वयस्क, निवासी–आर. सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाडा (राज.)
4. प्रतापसिंह आत्मज श्री शिवसिंह राठौड, जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी पडासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. भगवानसिंह आत्मज श्री शम्भू सिंह राठौड, जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी पडासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. महेन्द्रसिंह आत्मज श्री नारायण सिंह चुण्डावत, जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. महावीरसिंह आत्मज श्री घीसुसिंह राठौड, जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी पडासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. लादुकंवर पत्नि श्री चांदसिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी–उलेला तहसील व जिला बून्दी (राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. गणपत आत्मज श्री नानू खटीक, आयु वयस्क, निवासी–भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
2. कंचन देवी पत्नि श्री उमेश पारीक, आयु वयस्क, निवासी–ईरास नई, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
3. भैरू आत्मज श्री हीरा गाडरी, आयु वयस्क, निवासी–ईरास नई, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
4. मिथिलेश पत्नि श्री पारसमल व्यास, आयु वयस्क निवासी संजय कॉलोनी, भीलवाडा (राज.)
5. मोहन आत्मज श्री हीरा गाडरी, आयु वयस्क, निवासी–ईरास नई, तहसील जिला भीलवाडा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

6. रघुनाथ आत्मज श्री हीरा गाडरी, आयु वयस्क, निवासी–ईरास नई, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
7. रामचन्द्र आत्मज श्री हीरा गाडरी, आयु वयस्क, निवासी–ईरास नई, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
8. सुमन पत्नि श्री नरेन्द्र ओझा, आयु वयस्क, निवासी–फूलिया गेट, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा (राज.)
9. सुमित्रा पत्नि श्री महावीर शर्मा, आयु वयस्क, निवासी–संजय कॉलोनी, भीलवाडा (राज.)
10. सीताराम आत्मज श्री एकलिंग खटीक, आयु वयस्क, निवासी–भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. नगर विकास न्यास, भीलवाडा जरिये सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाडा (राज.)
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

–विपक्षीगण

उपस्थित:–अधिवक्ता प्रार्थी राकेश जैन
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: <u>निर्णय</u> :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ईरास नई प0ह0 सुवाणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 240 की अभिलिखित आराजियात 3118/1 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2719 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं।

वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि के सीमाचिन्ह नहीं होने से पत्थरगढ़ी करवाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

Ahad
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा ईरास नई प0ह0 सुवाणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 240 की अभिलिखित आराजियात 3118/1 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2719 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशान्नात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आनन्द कुमार त्रिपाठी) उपखण्ड अधिकारी

(आ... प्रवृत्ति सा...थ)

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा